भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2725

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

बिहार में मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता

2725. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन के लिए बिहार को वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाने का है क्योंकि उक्त राज्य में मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): पीएम पोषण के तहत पिछले दस वर्षों के दौरान बिहार को जारी की गई केंद्रीय सहायता इस प्रकार है:

वर्ष	**जारी केंद्रीय सहायता (रु. लाख में)**
2014-15	136532.10
2015-16	120013.29
2016-17	114257.02
2017-18	97871.58
2018-19	112448.94
2019-20	109313.34
2020-21	139248.01
2021-22	103016.32
2022-23	76399.12
2023-24	92323.54
2024-25	142911.47

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है तथा अधिकांश सरकारी स्कूल और स्कूल बोर्ड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रशासनाधीन हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख अधिकारों पर आधारित योजनाओं में से एक है, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझेदारी में लागू किया गया है, ताकि बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को एक बार पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा सके। पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की होती है।

भारत सरकार ने योजना के तहत उच्च गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट **https://pmposhan.education.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, खाद्य नमूनों की जांच सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या विधि द्वारा प्रत्यायन या मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला में कराने का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों को पूरा करने वाले सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ रसोइया-सह-सहायकों को पोषण, खाना पकाने की प्रक्रियाएँ, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, व्यंजन-विधि तथा भोजन परोसने के कौशल आदि पर प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र होटल प्रबंधन संस्थानों, खाद्य शिल्प संस्थाओं, एफएसएसएआई, राज्य विश्वविद्यालयों आदि की सहकार्यता से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र खाना पकाने की प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हैं और विजेताओं को विविध तथा पौष्टिक भोजन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार भी देते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यंजन-सूची तय करें और स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों जैसे मोटे अनाज, सब्जियां, मसालों आदि की खरीद करें। दिशानिर्देशों में यह भी परिकल्पना की गई है कि स्कूल में सभी बच्चे साबुन से अपने हाथ धोएं।

इस योजना में व्यापक निगरानी अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति तंत्र भी प्रदान किया गया है। पीएम पोषण दिशानिर्देशों में योजना की तिमाही आधार

पर निगरानी हेतु जिले के वरिष्ठतम सांसद (एमपी) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का प्रावधान किया गया है।
